

अतिमहत्वपूर्ण/ समयबद्ध/तत्काल

पत्र सं०-अपर आयु०(पुलिस)/पुलिस कर्मी चल अचल सम्पत्ति विवरण/ 2024-25/

235 /राज्य कर

कार्यालय आयुक्त, राज्य कर, उत्तर प्रदेश
(पुलिस--कैम्प)

दिनांक::लखनऊ:: 28 अगस्त, 2024

समस्त

अपर आयुक्त ग्रेड-2 (वि० अनु०शा०), राज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

कृपया उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक अनुभाग-5 के शासनादेश संख्या-267/सैतालिस-का-5-2024-(1838120) दिनांक 17-08-2024 के क्रम में आयुक्त राज्य कर उत्तर प्रदेश के पत्र संख्या-1650 दिनांक 22-08-2024 संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा कार्मिकों को मानव सम्पदा पोर्टल पर चल-अचल सम्पत्ति का विवरण प्रत्येक दशा में दिनांक 31-08-2024 निर्धारित करते हुए निर्देशित किया गया है कि चल-अचल सम्पत्ति का विवरण पोर्टल पर दर्ज करने वाले कार्मिकों का ही माह अगस्त, 2024 का वेतन आहरित किया जाए।

उक्त के सम्बन्ध में आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने अधीनस्थ समस्त पुलिस कर्मियों को यह निर्देशित कर दे कि वे मानव सम्पदा पोर्टल पर नियमानुसार अपना चल-अचल सम्पत्ति का विवरण प्रत्येक दशा में दिनांक 31-08-2024 तक दर्ज करना सुनिश्चित करें साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी प्रेषित कराने का कष्ट करें की समस्त पुलिस कर्मियों द्वारा चल-अचल सम्पत्ति का विवरण मानव सम्पदा पोर्टल पर दर्ज करा दिया गया है कोई शेष नहीं है।

(प्रकाश स्वरूप पाण्डेय)

आई०पी०एस०

अपर आयुक्त (पुलिस) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

पृष्ठांकन पत्र संख्या: व दिनांक: उक्त।

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी राज्य कर मुख्यालय को आयुक्त महोदय के अवलोकनार्थ।
- 2- अपर आयुक्त राज्य कर उत्तर प्रदेश।
- 3- संयुक्त आयुक्त (आई०टी०) राज्य कर मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड कराने हेतु।

28/8/24

अपर आयुक्त (पुलिस) राज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ